*ई-मेल
स्पीड पोस्ट/निबंधित
डाक

पत्रांक-नि0/1/2026-SEC_2-UDHD DEPT

बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक,

राजीव शंकर,
सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार (ले० एवं ह०),
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक-

विषय :- **नगरपालिका आम/उप निर्वाचन हेतु राज्य निर्वाचन आयोग को वित्तीय वर्ष 2026-27 में कुल राशि 228.68320 लाख (दो करोड़ अठाईस लाख अड़सठ हजार तीन सौ बीस रूपये) मात्र व्यय की स्वीकृति।**

आदेशः- **स्वीकृत।**

सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग के पत्रांक-1745 दिनांक-29.04.2026 द्वारा नगरपालिका आम/उप निर्वाचन हेतु वित्तीय वर्ष 2026-27 में कुल राशि 228.68320 लाख (दो करोड़ अठाईस लाख अड़सठ हजार तीन सौ बीस रूपये) मात्र आवंटित करने का अनुरोध किया गया है।

2. राज्य निर्वाचन आयोग के उक्त अनुरोध के आलोक में नगरपालिका आम/उप निर्वाचन हेतु वित्तीय वर्ष 2026-27 में कुल राशि 228.68320 लाख (दो करोड़ अठाईस लाख अड़सठ हजार तीन सौ बीस रूपये) मात्र व्यय की स्वीकृति दी जाती है, जिसकी विवरणी निम्नवत है:-

क्र० सं०	नाम	अधियाचित राशि (राशि लाख में)	कुल स्वीकृत राशि (राशि लाख में)
1	**2**	**3**	**4**
1	राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार, पटना	228.68320	228.68320
	योग	**228.68320**	**228.68320**

अर्थात् कुल स्वीकृत राशि 228.68320 लाख (दो करोड़ अठाईस लाख अड़सठ हजार तीन सौ बीस रूपये) मात्र ।

इसके लिए CFMS के माध्यम से राशि आवंटित किया जायेगा।

3. स्वीकृत राशि 228.68320 लाख (दो करोड़ अठाईस लाख अड़सठ हजार तीन सौ बीस रूपये) मात्र वित्तीय वर्ष 2026-27 में मांग संख्या-48 (स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय), के अंतर्गत मुख्य शीर्ष- 2015-निर्वाचन, उपमुख्य शीर्ष-00-लघु शीर्ष-109-पंचायतों/स्थानीय निकायों को चुनाव के आयोजन के लिए प्रभार-उपशीर्ष-0001-नगर निगमों, नगर परिषदों एवं नगर पंचायतों का चुनाव विषय शीर्ष-13.01- कार्यालय व्यय, विपत्र कोड सं॰-48-2015001090001 के अंतर्गत उपबंधित राशि से विकलनीय होगी।

4. स्वीकृत कुल राशि 228.68320 लाख (दो करोड़ अठाईस लाख अड़सठ हजार तीन सौ बीस रूपये) मात्र की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार, पटना द्वारा सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन पटना से नगरपालिका आम/उप निर्वाचन, 2026 से संबंधित प्राप्त

विपत्रों के विरूद्ध BTC-25 में की जाएगी। राशि की निकासी वितीय वर्ष 2026-27 में वित्त विभाग के परिपत्र सं॰-2561, दिनांक-17.04.98 पत्रांक-236, दिनांक-09.03.2026 में निहित अनुदेशों के आलोक में संबंधित कोषागार से की जायेगी।

5. वित्त विभाग के परिपत्र सं०-7355 वि(2), दिनांक-05.10.07 में निहित अनुदेश के आलोक में राशि की निकासी के लिए महालेखाकार, बिहार, पटना के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।

6. स्वीकृत राशि यदि चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 में व्यय नहीं हो सके या व्यय होने की संभावना नहीं हो तो शेष राशि का प्रत्यर्पण दिनांक-31.03.2027 तक अवश्य कर दिया जाय। किसी भी परिस्थिति में अव्ययहृत राशि को किसी बैंक खाता में नहीं रखा जाय अन्यथा इससे उत्पन्न अनियमितता की सारी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

7. आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति E-संचिका संख्या-**नि0/1/2026-SEC_2-UDHD DEPT** के Note- 03 /टि० पर दिनांक-25.05.2026 को प्राप्त है एवं सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन Note- 07 /टि० पर दिनांक- 29.05.2026 को प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह०/-

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक-**नि0/1/2026-SEC_2-UDHD DEPT** 43 /न०वि०एवंआ०वि० /पटना, दिनांक- 04/06/26

प्रतिलिपिः-सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार, पटना/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी-सह-जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका)/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार सिचाई भवन पटना/वित्त (बजट शाखा), विभाग/निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार, पटना/योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/विभागीय मंत्री के आप्त सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग/प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रधान आप्त सचिव/प्रशाखा पदाधिकारी-02 एवं 06, नगर विकास एवं आवास विभाग/सहायक प्रशाखा पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग, पटना/स्थानीय लेखा परीक्षक, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

2. कोषागार पदाधिकारी से अनुरोध है कि स्वीकृत राशि से अधिक की निकासी किसी भी हालत में नहीं होने दी जाए।

सरकार के संयुक्त सचिव।